

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत कम्यूनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु शक्ति दीदी (महिला बीट एवं महिला हेल्प डेस्क) के माध्यम से जनपद में विभिन्न स्थानों पर संचालित कराये गये आउटरीच प्रोग्राम।
नये कानूनों में महिलाओं को प्रदान किये गये अधिकारों की भी दी गई जानकारी...।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत आज दिनांक 14.07.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में शक्ति दीदी (महिला बीट तथा महिला हेल्प डेस्क) के माध्यम से जनपद के समस्त थानों पर आउटरीच प्रोग्राम चलाकर अपने-अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत आबादी क्षेत्र, बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर बालिकाओं/छात्राओं एवं महिलाओं को महिला उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिकारों एवं महिला उत्पीड़न के संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जागरूक किया गया तथा प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं यथा- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट सखी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना व राष्ट्रीय पोषण मिशन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त उनके साथ किसी भी अप्रिय घटना के बारे में संदेह होने पर उनकी सहायतार्थ नये कानूनों में महिला सम्बन्धी अपराधों के प्रति उनके अधिकारों की भी जानकारी प्रदान की गयी है साथ ही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बर-112, 108, 181, 1076, 1090,1098 की जानकारी व उनके प्रयोग के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया एवं साइबर अपराध होने पर साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराये जाने के बारे में भी बताते हुए जागरूक किया जा रहा है।



थाना कबरई की पुलिस टीम ने

अवैध शराब के साथ एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक गतिविधियों को कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अवैध शराब की बिक्री, परिवहन की रोकथाम अभियान के क्रम में दिनांक 13.07.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कबरई श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम म0उ0नि0प्रशि0 शिवांगी गुप्ता मय हमराह के द्वारा 01 नफर अभियुक्त अभिषेक यादव पुत्र जगजीवन यादव उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मु0 राजीवनगर थाना कबरई जनपद महोबा के कब्जे से 32 क्वार्टर अवैध देशी शराब झूम बरामद करते हुए बीला दक्षिण रोड़ थाना कबरई से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 184/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अभिषेक यादव पुत्र जगजीवन यादव उम्र करीब 20 वर्ष निवासी मु0 राजीवनगर थाना कबरई जनपद महोबा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. म0उ0नि0प्रशि0 शिवांगी गुप्ता
2. म0उ0नि0प्रशि0 मालती साहू
3. कां0 सुनील कुमार



थाना कबरई की पुलिस टीम ने

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक गतिविधियों को कारित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अवैध शस्त्र की निर्माण, बिक्री व परिवहन की रोकथाम अभियान के क्रम में आज दिनांक 14.07.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कबरई श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गयी टीम के 30नि0 चन्द्रशेखर सिंह मय हमराह के द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर 01 नफर अभियुक्त जिमी हामिद पुत्र हामिद सौदागर उम्र करीब 28 वर्ष निवासी खेखा टोला नागौध थाना सतना जनपद सतना (म0प्र0) जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद करते हुए ग्राम पहरा थाना कबरई के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 185/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

जिमी हामिद पुत्र हामिद सौदागर उम्र करीब 28 वर्ष निवासी खेखा टोला नागौध थाना सतना जनपद सतना (म0प्र0)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. 30नि0 चन्द्रशेखर सिंह
2. 30नि0 अजय प्रताप सिंह
3. हे0कां0 रामकरण सिंह



थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने अपनी ही पत्नी की हत्या करने वाले हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर हत्या की घटना का किया सफल अनावरण।

जनपद महोबा के थाना महोबकंठ क्षेत्रअन्तर्गत ग्राम घटेरा में दिनांक 12/13.07.2024 की रात्रि को मुन्नी उर्फ मोहनी पत्नी भूपेन्द्र उम्र करीब 25 वर्ष नि० ग्राम व थाना महोबकंठ जिला महोबा की रात में सोते समय गला दबा कर हत्या किये जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके सम्बन्ध में मृतिका मुन्नी उर्फ मोहनी की बहन कुन्ती पत्नी गुलाब सिंह उम्र करीब 42 वर्ष नि० ग्राम घटेरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा की तहरीर के आधार पर दिनांक 13.07.2024 को थाना महोबकंठ में मृतिका के पति अभियुक्त भूपेन्द्र कुमार पुत्र सन्तराम उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम महोबकंठ थाना महोबकंठ जनपद महोबा के विरुद्ध मु०अ०सं० 138/24 धारा 103(1) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर घटना के सफल अनावरण एवं संबंधित अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम् व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थाना महोबकंठ प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गयी। गठित पुलिस टीम द्वारा व्यापक रूप से सुरागरसी पतारसी करते हुये अभियुक्त की तलाश की गयी। जिसके क्रम में आज दिनांक 14.07.2024 को हत्या की घटना कारित करने वाले हत्यारोपी पति अभियुक्त भूपेन्द्र कुमार पुत्र संतराम अहिरवार उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम महोबकंठ थाना महोबकंठ जनपद महोबा को ग्राम कनकुआ पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि मैं और मुन्नी उर्फ मोहिनी उपरोक्त पति-पत्नी है। दिनांक 12.07.2024 को मैं और मेरी पत्नी मुन्नी उर्फ मोहिनी अपने साडू गुलाब के लडके की शादी में ग्राम घटेरा गये थे जिसमे शादी मे बरात मे जाने की बात को लेकर हम दोनो मे आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था मेरी पत्नी अक्सर मुझसे लड़ती झगड़ती थी हर बात पर मुझे नीचा दिखाने का प्रयास करती थी अपनी बात को सर्वोपरि रखती थी। इसी बात को लेकर रात में मैंने अपनी पत्नी मुन्नी उर्फ मोहिनी का गला दबाकर हत्या कर दी थी। अभियुक्त भूपेन्द्र कुमार उपरोक्त को मा० न्यायालय के समक्ष पेशी के उपरान्त जेल भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. निरीक्षक श्री राधेश्याम वर्मा (SHO महोबकंठ)
2. हे०का० विकास
3. का० कुंवर पाल

गिरफ्तार अभियुक्त-

भूपेन्द्र कुमार पुत्र संतराम अहिरवार उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम महोबकंठ थाना महोबकंठ जनपद महोबा।

